

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
टेलीफैक्स-0141-2222403, ईमेल- stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: भूमि/F.7(ड)(116)DLB/2016/ 1784

दिनांक: 11/5/2017

आयुक्त,  
नगर निगम, कोटा।

विषय:- श्री दिलीप सिंह पलायथा पुत्र स्व. श्री दलेल सिंह, कृष्णा आवास सिविल लाईन्स रेल्वे स्टेशन उपविभाजन हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:- आपके पत्र क्रमांक/ननिको/भ.नि.अनु./रामपुरा जोन/2016/2469 दिनांक 03.03.2016 एवं दिनांक 08.10.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री दिलीप सिंह पलायथा पुत्र स्व. श्री दलेल सिंह, कृष्णा आवास सिविल लाईन्स रेल्वे स्टेशन द्वारा स्वयं की भूमि 26149 वर्गमीटर में से आवासीय स्वीकृति हेतु 4938.66 वर्गमीटर भूमि के उप विभाजन हेतु निवेदन किया गया है।

आयुक्त, नगर निगम, कोटा द्वारा प्रेषित चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य स्टेशन रोड पर स्थित है। उक्त स्टेशन रोड का मास्टर प्लान अनुसार सड़क मार्गाधिकार 120'-160' निर्धारित है। आवेदित भूमि के समीपीय बहुमंजिला भवन पर स्वीकृत मानचित्र 30 मीटर चौड़ी सड़क रखी जाने का निर्णय लेकर 30 मीटर चौड़ी सड़क पर मानचित्र अनुमोदन किये गये हैं। मौके पर उपलब्धता तथा बिल्डिंग लाईन्स के मटेनजर न्यूनतम 30 मीटर व जहाँ अधिक उपलब्ध है वहाँ तदनुसार मानचित्र नगर निगम द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। अतः वर्तमान में आवेदित भूखण्ड के सामने सड़क 30 मीटर से अधिक उपलब्ध है।

प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि मौके पर फाउण्डेशन का कार्य चल रहा है। अग्र सैटवेक में कोई निर्माण नहीं है। उपविभाजित भूखण्ड के सामने से 30 मीटर चौड़ी अधिक चौड़ी सड़क है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुये श्री दिलीप सिंह पलायथा पुत्र स्व. श्री दलेल सिंह, कृष्णा आवास सिविल लाईन्स रेल्वे स्टेशन द्वारा स्वयं की भूमि 26149 वर्गमीटर में से आवासीय स्वीकृति हेतु 4938.66 वर्गमीटर भूमि का उप विभाजन स्थानीय स्तर पर निम्न शर्तों के अध्वधीन किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.2010 अनुसार प्रकरण से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक एवं तकनीकी बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
2. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना निकाय स्तर सुनिश्चित की जानी होगी।
3. भूमि के स्वामित्व का परीक्षण स्थानीय निकाय स्तर पर की जाने की सुनिश्चिता की जानी होगी।
4. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं उप-विभाजन नियम, 1975 के प्रावधानों की पालना निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी।
5. उपविभाजित भूखण्ड पर भवन मानदण्ड यथा गेटवेक, एफ.ए.आर., अच्छादन, आदि भवन विनियम अनुसार देय होंगे।
6. पूर्णगटन/उपविभाजन से सम्बन्धित समस्त देय शुल्क प्रार्थी से लिये जाने की सुनिश्चिता की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय निकाय स्तर पर सुनिश्चिता की जावेगी।

उपरोक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव



*Abh*  
क. अभियन्ता  
नगर निगम, कोटा

*Sh.*  
उप नगर नियोजक  
नगर निगम, कोटा

*Sh.*  
उपायुक्त  
रामपुरा जेन  
नगर निगम, कोटा

